वाद संख्या—47 / 2023

मो0 इबरार आलम बनाम मो0 इजहार अली एवं मो0 इरफान अंसारी।

30.05.2024 इस वाद की सुनवाई दिनांक—30.01.2024 को हुई, जिसमें वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री एस0बी0के0 मंगलम उपस्थित। प्रतिवादी की ओर उनके विद्वान अधिवक्ता श्री यतीन्द्र नारायण उपस्थित। जिला प्रशासन की तरफ से श्री गयानन्द यादव, अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मनिहारी, कटिहार उपस्थित।

आयोग द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता से यह अनुरोध किया गया था कि प्रस्तावक एवं समर्थक के संबंध में अयोग्यता संबंधी प्रावधान का समय विस्तार निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किए गए संवीक्षा के उपरांत के अवधि अर्थात्, निर्वाचन पूर्व एवं निर्वाचन के पश्चात् अभ्यर्थी पर प्रभाव डालता है कि नहीं के संबंध में कानूनी प्रावधान आयोग को उपलब्ध कराए ताकि वाद की सुनवाई जारी रखी जा सकें। इस संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम—2007 की धारा—18 में वर्णित अयोग्यता चुनाव के पश्चात् प्रस्तावक एवं समर्थक पर लागू नहीं होता। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने दावें को वापस लेने के उपरांत वाद की कार्रवाई को समाप्त करने का आग्रह प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया।

उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं के सहमति से बिहार नगरपालिका अधिनियम—2007 के प्रावधानों के आलोक में वाद की कार्रवाई को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/—
(डॉ० दीपक प्रसाद)
30.05.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक—47 / 2023 2472
पटना, दिनांक—30.5.24

प्रतिलिपि—जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)—सह—जिला पदाधिकारी, कटिहार / जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला संबंधित पक्षों को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक / ई—मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

30/5/24
विशेष कार्य पदाधिकारी